रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10092026-276110
CG-MH-E-10092026-276110

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4743] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2026/भाद्र 16, 1948
No. 4743] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2026/BHADRA 16, 1948

रेल मंत्रालय
(पश्चिम रेलवे)
अधिसूचना

मुंबई, 7 सितम्बर, 2026

का.आ. 4933(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (क) की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पश्चिम रेलवे) की अधिसूचना संख्या 264, का. आ. 288 (ई), तारीख 30 मार्च, 2026 द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 17 एप्रिल, 2026 में प्रकाशित अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात, महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर परिवहन परियोजना – III के अंतर्गत विरार – डहाणू रोड स्थानकों के दरम्यान तीसरी एवं चौथी रेलवे लाइन के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात, “दि फ्री प्रेस जर्नल ”(अंग्रेजी), तारीख 06 मे, 2026 और “लोकमत” (मराठी) तारीख 06 मे, 2026 को प्रकाशित किया गया था। सक्षम प्राधिकारी को 2 आपत्तियां प्राप्त हुईं और सुनवाई के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ, यह घोषणा करती है की इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जायेगी।

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जायेगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर परिवहन परियोजना – III के अंतर्गत विरार – डहाणू रोड स्थानकों के दरम्यान तीसरी एवं चौथी रेलवे लाइन की विशेष रेल परियोजना हेतु पालघर तालुका, जिला पालघर में अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण-

क्रम.सं.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	गट संख्या (सर्वे संख्या)	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृती	संपादित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूस्वामी/हितबध्द व्यक्तियों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	पालघर	पालघर	पालघर	48/1/2	निजी	गैर कृषि	0.02.00	धनराजसिंग हनुमानसिंग हजारी राजपुत

[फा. सं. ई-25840-39]

मुकेश कुमार, मुख्य इंजीनियर (निर्माण)-I

MINISTRY OF RAILWAYS

(Western Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th September, 2026

S.O. 4933(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Western Railway), number 264, S.O. 288 (E), dated the 30th March, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 17th April 2026 and issued under the sub-section(1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of a Special Railway Project namely, Quadrupling of Virar-Dahanu Road Corridor on Western Railway, of MUTP III Projects in the district of Palghar in the State of Maharashtra;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely, “The Free Press Journal” (English), dated the 6th May, 2026 and “Lokmat” (Marathi) dated the 6th May, 2026 under the sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, 2 objections were received by the Competent Authority; and objections were ruled out by competent authority after hearing.

Further, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Central Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Quadrupling of Virar-Dahanu RoadCorridor on Western Railway, of MUTP III Projects in Palghar Taluka, District Palghar in the State of Maharashtra.

Sr No.	District	Tehsil	Village	Gut Number (Survey Number)	Type of Land	Nature of land	Area of acquired land (in Hectare)	Name of Land Owner/Interested Persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Palghar	Palghar	Palghar	48/1/2	Private	Non-Agricultural	0.02.00	Dhanraj Singh Hanuman Singh Hazari Rajput

[F. No. E-25840-39]

MUKESH KUMAR, Ch. Engg. (Construction)-I

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.09.10 15:14:00 +05'30'